भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं 1526**

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में वृद्धि**

**1526. श्री मनीष जायसवाल:**

**श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:**

**श्री सुधीर गुप्ता:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के दायरे से बाहर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ कोई बैठक/विचार-विमर्श किया है जिन्होंने उक्त योजना को नहीं अपनाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विचार-विमर्श के क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने उक्त योजना में कमियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना का दायरा बढ़ाने के लिए किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी निधि स्वीकृत की गई है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) से (ग):** देश में खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई PMFBY योजना, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और यह राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र भविष्य में सामना किये जा सकने वाले अपने जोखिमों और वित्तीय संकटों आदि को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत सदस्यता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। योजना की शुरुआत से, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एक या अधिक सीजन में इस योजना को कार्यान्वित किया जा चुका है। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने स्वयं के कारणों से कुछ मौसमों तक इस इस योजना को कार्यान्वित करने के बाद इससे बाहर निकलने का विकल्प चुना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रयासों के कारण, आंध्र प्रदेश और झारखंड पुन: इस योजना में शामिल हुए हैं, तथा तेलंगाना द्वारा इस योजना में शामिल होने की घोषणा की गई है।

विभाग, योजना में शामिल न होने वाले राज्यों को बैठकों तथा राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से उच्चतम स्तर पर लिखित में योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। परिणामस्वरूप, बिहार, मिजोरम और लद्दाख सहित कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है।

**(घ) एवं (ङ):** फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार, एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर हितधारकों/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभवों और विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा समय-समय पर PMFBY योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है जिससे योजना के तहत, पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी रूप से पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की जाँच के लिए, फसल बीमा के कार्यान्वयन पर विभिन्न प्रदर्शन मूल्यांकन अध्ययन भी किए गए हैं। विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर, योजना में येस-टेक, विंड्स आदि जैसे; विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेप शामिल किए गए हैं। योजना में तकनीकी हस्तक्षेपों का विवरण निम्नानुसार है:

(क) **यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान) -** एक प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली है जिसे देश के 100 जिलों में 2 वर्षों के कठोर परीक्षण और पायलट परीक्षणों के बाद विकसित किया गया है। यह कार्य फसल नुकसान आकलन और उपज अनुमान, अनुमोदित प्रौद्योगिकियों/उपायों का उपयोग के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग सूचकांकों, मौसम सूचकांकों, फसल फेनोलॉजिकल जानकारी, मृदा प्रकार आदि से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से किया जाता है।

(ख) **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली) -** यह देश की एक अग्रणी पहल है, जिसके तहत तालुक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा मापी का नेटवर्क स्थापित किया गया है, ताकि विभिन्न सरकारी और अन्य संस्थाओं के लिए अति-स्थानीय मौसम डेटा का एक सुदृढ डेटाबेस बनाया जा सके, जिसका उपयोग सभी किसान और कृषि उन्मुख सेवाओं के लिए किया जा सके।

(ग) **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) -** यह सरकार द्वारा डेटा के एकल स्रोत के रूप में विकसित किया गया है जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाएं प्रदान करना, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसान के व्यक्तिगत विवरण को अपलोड/प्राप्त करना और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण करना सुनिश्चित करता है।

(घ) **डिजी-क्लेम-पेमेंट मॉड्यूल -** यह खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए एक समर्पित मॉड्यूल है ताकि दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जा सके। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जा सके।

(ङ) **AIDE (मध्यस्थ नामांकन ऐप):** बीमा मध्यस्थों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से किसानों के डोर-स्टेप्स पर नामांकन हेतु खरीफ 2023 में एक स्मार्ट-फोन ऐप डिज़ाइन और लॉन्च किया गया है। यह किसान को पूरी तरह से कागज़-रहित और नकदी-रहित अनुभव प्रदान करता है।

(च) **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन:** किसानों को अपनी शिकायतें/चिंताएँ/प्रश्न दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए एक अखिल भारतीय एकल नंबर एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है जिसमें डिजिटल पोर्टल और एक कॉल सेंटर शामिल है।

इसके अतिरिक्त, प्रीमियम सब्सिडी और अन्य प्रशासनिक व्यय में केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित देनदारियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12242.27 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

*****